

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 742

दिनांक : 10/11/2021

स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत (अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) की 10 वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु विभागीय वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिनकी तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है—

क्र. सं.	छात्रवृत्ति का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारंभ की तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2020-21	10.11.2021	25.11.2021

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/छात्राध्यापिका/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें।

(एन.एल.मीना)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर